



बिहार सरकार

कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी/दण्डाधिकारी, बाढ़ (पटना)
(कल्याण शाखा)

दूरभाष सं०-06132242305 (को०)

ई-मेल-sdmbbarh@gmail.com

(आदेश)

न्यायालय, राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) समाज कल्याण, विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-581/आ० नि० को०, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-72 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन हेतु अनुमण्डल स्तरीय समिति का बैठक दिनांक 10.09.2020 को आहूत की गई, जिसमें अनुमण्डल स्तरीय दिव्यांगजन अनुश्रवण समिति का गठन किया गया। उक्त गठित समिति पंचायत स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तरीय गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कार्य करेगी। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करायेगें तथा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगें। अनुमण्डल स्तरीय समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारियों/दिव्यांगजनों/ जनप्रतिनिधियों का पदनाम	अनुमण्डल समिति का स्वरूप	मोबाईल नं० (अनिवार्य रूप से)
1	सुमित कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी	अध्यक्ष	9473191204
2	डॉ० संगीता कुमारी, केन्द्रीय प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र-सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा के प्रतिनिधि के रूप में	सदस्य सचिव	7011108816
3	श्री विजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी	सदस्य	7564980139
4	डॉ० विकासचन्द्र चौधरी, अनुमण्डल स्तरीय विकित्सा पदाधिकारी, बाढ़	सदस्य	9431065114
5	श्री शशिकान्त कुमार, बाढ़ (अनुमण्डल स्तरीय दिव्यांगजन में से चुने गये प्रतिनिधि)	सदस्य	8873423271
6	श्री अरविन्द कुमार, अनुमण्डल स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी, बाढ़	सदस्य	9430230180
7	श्री अशोक कुमार सिंह, दिव्यांगजन प्रेक्षत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/समूहों के प्रतिनिधित्व करने हेतु चक्रानुक्रम आधारित प्रतिनिधि।	सदस्य	8709793595
8	1. श्री हरिनारायण प्रधान 2. श्री साधुशरण सिंह 'सुमन' अध्यक्ष द्वारा मनोनित चक्रानुक्रम आधारित सामाजिक कार्यकर्ता।	सदस्य	7903962692 9334133708
9	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाढ़ 2. अंचल अधिकारी, बाढ़	सदस्य	9431818006 8544412746

हस्ताक्षर-

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बाढ़।

ज्ञापांक 1744 /को०, दिनांक 10/09/2020

प्रतिलिपि - समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, बाढ़ अनुमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) समाज कल्याण, विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

10/9/2020
अनुमण्डल पदाधिकारी,
बाढ़।



बिहार सरकार
दूरभाष सं०-9431818006



कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाढ़ (पटना)

Email- barh.bdo@gmail.com



बिहार सरकार

—:आदेश :-

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 581/आ०नि० को० दिनांक 28.02.2020 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 72 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तरीय समिति से संबंधित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन के तहत प्रखंड स्तर/अंचल स्तर के दिव्यांगजन समूह का गठन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश में प्रखंड स्तरीय दिव्यांगजन समूह का गठन निम्नलिखित रूपेण किया जाता है -

क्रमांक	पंचायत का नाम	पंचायत स्तर समूह में से प्रत्येक पंचायत का दिव्यांगजन व्यक्तियों का नाम	मोबाईल नं०	पंचायत सचिव का नाम एवं मोबाईल नं०	अभ्युक्ति
1	नवादा	शर्मिला देवी	9905813986	शक्ति कुमार मो० 8271650030	
2	नदवाँ	रामरक्षा कुमार	7056361654		
3	धनावॉँ-मुबारकपुर	पृथ्वी राज पासवान	8581944440		
4	इब्राहिमपुर	रंजीत कुमार	8210328944		
5	रहिमापुर रूपस	मालती देवी	9508571828		
6	राणाबिगहा	विशाल कुमार	9680555857	विजय कुमार सिंह मो० 9431853552	
7	अगवानपुर	लाल्दुश .कुमार	8757780274		
8	शहरी	वेद प्रकाश चंचल	8102596161		
9	एकडंगा	सुनीता देवी	9122243284		
10	भटगाँव	शशिकांत कुमार	8872423271		
11	बेढ़ना पश्चिमी	उद्देश कुमार	9504546090	सियाराम कुमार मो० 7739447959	
12	बेढ़ना पूर्वी	संगीता कुमारी	9117194007		
13	सरकट्टी सैदपुर	देवन्ती देवी	8797319134		

प्रखंड स्तरीय दिव्यांगजन समूह में शामिल किये जाने वाले कर्मी व पदाधिकारी-

उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार पंचायत स्तर समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखंड स्तर का दिव्यांगजन समूह का गठन किया जाता है। जिसके अन्तर्गत समिक्षात्मक बैठक में प्रखंड स्तर के विविध क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा-प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड आपूर्ति



बिहार सरकार
दूरभाष सं०-9431818006



कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाढ़ (पटना)

Email- barh.bdo@gmail.com



बिहार सरकार

पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका, प्रखंड भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड श्रमपवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड संसाधन शिक्षक, विकास मित्र, न्यायमित्र, पंचायत सचिव, आवास सहायक, प्रखंड समन्वयक एवं प्रखंड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकारीयों के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि होंगे। इसकी आवधिकता महीने में कम से कम एक बार होगी।

विश्वासभाजन,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बाढ़ (पटना)।

ज्ञापांक 1881 दिनांक 09/09/2020

- प्रतिलिपि :- सभी दिव्यांगजन, को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सभी विकास मित्र/पंचायत सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।
 प्रतिलिपि :- राज्य आयुक्त निःशक्तता समाज कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बाढ़ (पटना)।

कायालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर।

कार्यालय आदेश

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्ता दिव्यांगजन समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 581/आ0नि0को0 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-72 के राज्य अंतर्गत अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तरीय समिति से संबंधित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत प्रखंड स्तर/अंचल स्तर के दिव्यांगजन समूह का गठन करने का निदेश प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश के आलोक में प्रखंड स्तरीय दिव्यांगजन समूह का गठन निम्नलिखित रूपेण किया जाता है।

क्र०	पंचायत का नाम	पंचायत स्तर समूह में से प्रत्येक पंचायत का दिव्यांगजन व्यक्तियों का नाम	मो० नं०	पंचायत सचिव का नाम	अभ्युक्ति
1	अलिपुर बिहटा	बिगुल कुमार	8434845324	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
2	विधिपुर नरौली	उषा देवी	9608761621	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
3	चम्पापुर	अरविन्द कुमार	9801566905	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
4	चिरैया रूपस	सुमन कुमारी	9955763853	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
5	डोमा	मुन्नी देवी	9199989537	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
6	घोसवरी	छबीला राय	8294443220	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
7	हिदायतपुर सैदपुर	अनीता देवी	9301664052	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
8	हरदासपुर दियारा	पत्नी लाल महतो	8102204802	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
9	काला दियारा	मुकु कुमार	9308713559	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
10	रूपस महाजी	आजाद कुमार	9905538064	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
11	मंडौली	विपीन कुमार	9955917654	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
12	सतमैया रामनगर	अमीत कुमार	7306554038	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
13	करनौती	आदित्य चन्द्र	9708155915	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
14	मोगलपुरा	गीता देवी	6206465051	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
15	घाघ	नीतिश कुमार	6162243419	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	
16	मिसी	अमृता कुमारी	9955563864	ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा	

प्रखण्ड स्तरीय दिव्यांगजन समूह में शामिल किये जाने वाले कर्मी व पदाधिकारी

उपरोक्त वर्णित सूचि के अनुसार पंचायत स्तर समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखण्ड स्तर का दिव्यांगजन समूह का गठन किया जाता है। जिसके अंतर्गत समीक्षात्मक बैठक में प्रखण्ड स्तर के विविध क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक जीविका, प्रखण्ड भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड संशाधन शिक्षक, विकास मित्र, न्याय मित्र, पंचायत आवास सहायक एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि होंगे। इसकी आवधिकता महीने में कम से कम एक बार होगी।

10.09.20

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बख्तियारपुर।

पत्रांक - 293 दिनांक - 10.09.20

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी का सूचना प्रेषित

10.09.20

कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी अथमलगोला

आदेश

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्ता दिव्यांगजन समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 581/आ0नि0को0 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धरा-72 के राज्य अंतर्गत अनुपालन होतु अनमंडल स्तरीय समिति से संबंधित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत प्रखंड स्तर/अंचल स्तरके दिव्यांगजन समूह का गठन करने का निदेश प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश के आलोक में प्रखंड स्तरीय दिव्यांगजन समूह का गठन निम्नलिखित रूपेण किया जाता है।

क्र० सं०	पंचायत का नाम	पंचायत स्तर समूह में से प्रत्येक पंचायत का दिव्यांगजन व्यक्तियों का नाम	मो०नं०	पंचायत सचिव का नाम	अभ्युक्ति
1	रामनगर दियारा	श्री अमलेश पाल सिंह,	9122240065	गजानन् प्रसाद	
	सबनिमा	श्री पावन कुमार	9110093083	गजानन् प्रसाद	
	उस्मानपुर	श्री मनोज चौधरी	6201749132	गजानन् प्रसाद	
	रामनगर करारी कछार	शंकर सिंह	9470656308	गजानन् प्रसाद	
	कल्याणपुर	दिलीप राज	7903548519	गजानन् प्रसाद	
	बहादुरपुर	सनोज कुमार	8877491239	गजानन् प्रसाद	
	करजान	अरुण कुमार सिंह	9470215447	गजानन् प्रसाद	
	फुलेलपुर मेउडा	अशोक पंडित		गजानन् प्रसाद	

प्रखंड स्तरीय दिव्यांगजन समूह में शामिल किये जाने वाले कर्मी व पदाधिकारी :-

उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार पंचायत स्तर समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखंड स्तर का दिव्यांगजन समूह का गठन किया जाता है। जिसके अंतर्गत समीक्षात्मक बैठक में प्रखंड स्तर के विविध क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जिविका, प्रखंड भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड संसाधन शिक्षक, विकास मित्र, न्याय मित्र, पंचायत आवास सहायक, एवं प्रखंड स्तर के कर्मचारीयो/पदाधिकारीयो के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि होंगे। इसकी आवधिकता महीने में कम से कम एक बार होगी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी
अथमलगोला।

कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलछी ।

-: आदेश:-

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता(दिव्यांगजन) समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 581/आ0 नि0 को0 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 72 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तरीय समिति से सम्बंधित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत प्रखंड स्तर/अंचल स्तर के दिव्यांगजन समूह का गठन का निदेश प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश के आलोक में प्रखंड स्तरीय दिव्यांगजन समूह का गठन निम्नलिखित रूपेण किया जाता है:-

क्रमांक	पंचायत का नाम	पंचायत स्तर समूह में से प्रत्येक पंचायत का दिव्यांगजन का नाम	दिव्यांगजन का मोबाइल संख्या	पंचायत सचिव का नाम/मोबाइल संख्या	अभियुक्ति
1	बेलछी	प्रदुमन कुमार	9123855742	परशुराम राम /7557717191	
2	फतेहपुर	मिंटू यादव	9155703430	परशुराम राम /7557717191	
3	बराह	शैलेन्द्र कुमार	7091951514	परशुराम राम /7557717191	
4	सकसोहरा प0	संदू मांझी	7603858281	परशुराम राम /7557717191	
5	सकसोहरा पूर्वी	प्रेमण कुमार	8360678659	परशुराम राम /7557717191	
6	कोरारी	संगीता भारती	7050591223	संजय प्रसाद सिंह /6200520044	
7	औंदीली दर्वेशपुरा	कन्हैया कुमार	7564087293	संजय प्रसाद सिंह /6200520044	

प्रखंड स्तरीय दिव्यांगजन समूह में शामिल किये जाने वाले कर्मी व पदाधिकारी:-

उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार पंचायत स्तर समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखंड स्तर का दिव्यांगजन समूह का गठन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत समीक्षात्मक बैठक में प्रखंड स्तर के विविध पदाधिकारी यथा -प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), प्रखंड संचिपिकी पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका), प्रखंड भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड भ्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड संसाधन शिक्षक, विकास मित्र, न्याय मित्र, आवास सहायक, प्रखंड समन्वयक एवं प्रखंड स्तर के सभी कर्मचारियों के साथ -साथ पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी आवश्यकता महीने में कम से कम एक बार होगी।

ज्ञापांक 1229/दिनांक 09/09/2020

प्रतिलिपि :- सभी दिव्यांगजन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड स्तरीय कर्मी एवं पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- राज्य आयुक्त निःशक्तता(दिव्यांगजन) समाज कल्याण विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बेलछी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बेलछी।